कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 64 / 14 **तिथि–26.05.2015**
बलभद्र प्रसाद शाही बनाम अन्य (चन्द्रहट्टी पंचायत–कुढ़नी)
उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री बलभद्र प्रसाद शाही द्वारा दिनांक–19.08.2014 को मनरेगा योजना अंतर्गत पुलिया एवं सड़क का निर्माण में अनियमितता के संबंध में एक परिवाद दायर किया गया। उसमें उल्लेख किया गया है कि चन्द्रहट्टी पंचायत के कमतौल ग्राम में रामजतन सिंह के घर के पास से मेरे घर के पास तक एक सड़क एवं पुल का निर्माण हेतु पैसा निर्गत किया गया लेकिन अबतक एक घटिया पुल का निर्माण किया गया और सड़क का ऐसा कार्य किया गया जो कि चलने के लायक भी नहीं है। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण लोग मेरे निजी दरवाजे से हो कर गुजरते हैं। जिसके कारण मुझे निजी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने इसकी जाँचोपरांत उचित कार्रवाई कर सड़क चालू करवाने का अनुरोध किया है।

इसके आलोक में मुखिया, चन्द्रहट्टी, पंचायत रोजगार सेवक, चन्द्रहट्टी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी को नोटिस की गई। इसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा पत्रांक–243 / कुढ़नी दिनांक–06.12.2014 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि परिबादी श्री बलभद्र प्रसाद शाही द्वारा की गई शिकायत की जाँच अधोहस्ताक्षरी एवं प्रखंड के तकनीकी पदाधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक–28.11.2014 को संयुक्त रूप से की गई है। जाँच के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों का लिखित बयान भी दर्ज किया गया है। जिसके आधार पर प्रतिवेदन करना है कि राम जतन सिंह के घर के पास से बलभद्र प्रसाद शाही के घर तक सड़क निर्माण एवं निर्माण प्रक्रिया मनरेगा योजना के तहत लगभग चार वर्ष पूर्व में कराई गयी थी योजना का कार्यान्वयन मापी पुस्त में दर्ज राशि एवं व्यय की गई राशि के अनुरूप कराया गया है। योजना का क्रियान्वयन हुए लगभग 04 वर्ष बीत चुका है। योजना स्थल नदी के आर–पार गुजरती है। बरसात के दिनों में नदी एवं उसके चारो ओर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है। जिसके कारण मिट्टी का क्षरण होते रहता है इसलिए सड़क से चलने में लोगों को कठिनाई होती रहती है। अतः कुछ लोग आवेदक के दरवाजे से होकर गुजरते हैं। इस कारण आवेदक द्वारा योजना पर शिकायत की गई है। उक्त योजना स्थल 2014–15 के वार्षिक कार्य योजना में शामिल है उक्त स्थल पर पुनः सड़क में मिट्टी भराई की योजना लेकर आवागमन को सुचारू किया जा सकता है। किन्तु उक्त स्थल के निकट अभी जल जमाव की स्थिति है एवं मिट्टी उपलब्ध नहीं है। जल जमाव समाप्त होते ही मिट्टी उपलब्ध होने पर योजना का क्रियान्वयन करा दिया जायेगा।

इस पत्र के साथ स्थानीय ग्रामीणों (ग्राम–अनंत कमतौल के निवासी)से लिए गए लिखित बयान की छायाप्रति संलग्न की गई है। इन ग्रामीणों में बृजमोहन साह, दिलीप महतो, शैलेन्द्र कुमार सिंह, शत्रुघ्न महतो, विरेन्द्र कुमार सिंह एवं राम नरेश सिंह शामिल है। इनके द्वारा दिये गए बयान में निम्नलिखित बातें हैं :–

"अनंत कमतौल ग्राम में रामजतन सिंह के घर के पास से मेरे घर (ऊपर अंकित ग्रामीण)के पास तक सड़क एवं पुल का निर्माण चार साल पहले कराया गया था। यह नई योजना में सड़क नदी के बीचो–बीच बनाई गयी है। कार्य अच्छा हुआ था। वर्त्तमान में पुलिया की स्थिति अच्छी है। आवागमन चालू रहता है। यह योजना चार साल पुरानी होने के कारण एवं नदी में प्रत्येक वर्ष ज्यादा पानी आ जाने के कारण मिट्टी का क्षरण प्रत्येक वर्ष जारी है। इस कारण पुल के सतह से मिट्टी नीचे बैठ गई है।

मेरे द्वारा यह बयान सुनकर, पढ़कर, देखकर एवं होशो–हवास में दिया गया है। बिना किसी दबाव के मैं अपने बयान पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।"

26/5/15

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

पुनः इस संबंध में सहायक अभियंता (मनरेगा), कुढ़नी से चन्द्रहट्टी पंचायत में अनंत कमतौल, ग्राम में रामजतन सिंह के घर के पास से बलभद्र प्रसाद शाही के घर के पास तक सड़क एवं पुल निर्माण की मानदंड, गुणवत्ता एवं प्राक्कलन की जाँच की मांग की गयी। जिसके आलोक में ई0

नित्यानंद सिंह, प्रभारी सहायक अभियंता, कुढ़नी (मनरेगा) द्वारा पत्रांक–02 दिनांक–03.01.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित की गयी। इसमें उल्लेख किया गया है कि अभिलेखीय जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त योजना ग्राम अनंत कमतौल में मनोज सिंह के घर के नजदीक से नदी किनारे फलक देवी स्थान तक नयी सड़क का निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य के नाम से स्वीकृत है। प्राक्कलन की जाँच के अनुसार :–

01. **सड़क एवं पुल निर्माण की मानदंड प्राक्कलन के अनुसार :–**

(क) 3565 फीट लंबी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 16 फीट चौड़ी एवं 8 फीट ऊँची सड़क तैयार करना है। जिसके लिए 7,56,200.00 रू0 का प्रावधान किया गया है।

(ख) पुलिया निर्माण दो स्थानों पर **8′ X 8′** आकार का पुलिया निर्माण एवं दो स्थानों पर **3′ X 3′** आकार का पुलिया प्रस्तावित है। जिसके लिए **8′ X 8′** के पुलिया हेतु 4,32,800.00 रू0 प्रस्तावित है। इस प्रकार पुलिया निर्माण पर 12,00,600.00 रू0 का प्रावधान है।

(ग) कंटिजेंसी हेतु–7562.00 रू0 एवं बोर्ड, फोटो हेतु 2500.00 रू0 का प्रावधान है। कुल चार योजनाओं का कुल लागत रूपये–19,66,900.00 है।

उक्त प्राक्कलन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक–14.03.2010 को स्वीकृत है जिस पर उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक–31.03.2010 को प्रशासनीक स्वीकृति भी दी गयी है।

02. **स्थलीय जाँच के अनुसार :–**

(क) मापीपुस्त एवं स्थलीय जाँच के क्रम में सड़क निर्माण पर 7,34.624.00 रू0 मज़दूरों को मजदूरी पर व्यय किया गया है। किए गये कार्य का सत्यापन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा भी किया जा चुका है। वर्त्तमान में इसका आकलन करना संभव नहीं है चूकि विगत चार वर्ष पूर्व मापीपुस्त में pits के आधार पर मापी दर्ज की गयी थी साथ ही बाद में अन्य योजना द्वारा तीन पुलिया तक सड़क पर ईंट सोलिंग भी कर दी गयी है।

(ख) **पुलिया निर्माण :–** पुलिया निर्माण पर किया गया व्यय मापीपुस्त के अनुसार सत्य पाया गया एवं पुलिया की गुणवत्ता भी प्रथम दृष्टया गुणवत्तापूर्ण पायी गयी। मापीपुस्त का सत्यापन तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा की गयी है। सुलभ संकेत हेतु प्राक्कलन मापीपुस्त एवं पुलिया की छायाचित्र संलग्न किया गया है।

वर्तमान में बलभद्र प्रसाद शाही के घर के निकट निर्मित पुलिया का Approach सड़क नदी के बीचो–बीच होने के कारण एवं बरसात में जलजमाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या चन्द्रहट्टी पंचायत के कमतौल ग्राम में रामजतन सिन्हा के घर के पास से वादी के घर के पास तक सड़क एवं पुल का निर्माण घटिया तरीके से कराया गया है?

–: निष्कर्ष :–

स्थलीय निरीक्षण (दिनांक–18.03.2015 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता भी उपस्थित थे।) एवं अभिलेखों के अवलोकन से घटिया निर्माण प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा जान बूझकर निहित स्वार्थ के कारण आरोप लगाया गया है। वस्तुतः इसका उद्देश्य उसके दरवाजे के सामने से होकर गुजरने वाले ट्रैक्टर से होने वाली असुविधा के कारण अनावश्यक दबाव बनाने हेतु इस तरह का आवेदन दिया गया है। परिवादी श्री बलभद्र प्रसाद शाही को चेतावनी दी जाती है कि इस तरह की बात को गलत तर्कों के आधार पर मेरे सम्मुख नहीं उठाएँ। ऐसा दुबारा करने पर उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

26/5/15

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

—: आदेश :—

इस संदर्भ में चन्द्रहट्टी पंचायत के कमतौल ग्राम में 'रामजतन सिंह के घर के पास से लेकर परिवादी श्री बलभद्र प्रसाद शाही के घर के पास तक सड़क एवं पुल का निर्माण' योजना में पुल के दोनों ओर मिट्टी के क्षरण हो जाने के कारण लोगों के आवागमन में परेशानी होती है। अतः इसे नियमानुसार किसी अन्य योजना में पारित करवाकर पुल के दोनों ओर मिट्टी भराई का कार्य करवा लिया जाए। इससे यह जनोपयोगी हो जाएगा।

ह0/0

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 66 **/ मुज0,दिनांक–** 26/05/**2015**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ समर्पित कि विभागीय ज्ञापांक–175362 दिनांक–27.01.2014 के कंडिका 14.2 के आलोक में ए0टी0आर0 भेजने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाएं।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय 26/5/15

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर